छत्तीसगढ़ शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2020-2021

छत्तीसगढ़ शासन

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
तथा
20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2020-21

छत्तीसगढ़ शासन

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

तथा

20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

प्रस्तावना

विभाग द्वारा वर्ष 2020–21 का प्रशासकीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। इस प्रतिवेदन में योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत आने वाले विभागाध्यक्ष कार्यालयों/आयोग की गतिविधियों एवं उनके द्वारा संचालित कार्यक्रमों की जानकारी संकलित की गई है।

साथ ही 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग तथा उसके अंतर्गत आने वाले विभागाध्यक्ष कार्यालय/आयोग की जानकारी संकलित की गई है।

प्रमुख सचिव,
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
एवं
20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

विभाग का नाम	:	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
प्रभारी मंत्री का नाम	:	श्री अमरजीत भगत

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मंत्रालय में पदस्थ अधिकारीगण

प्रमुख सचिव	:	श्री गौरव द्विवेदी (भा.प्र.से.)
सचिव	:	श्री आशीष कुमार भट्ट (भा.व.से.)
अवर सचिव	:	श्री सुनील नारायणिया

विभागाध्यक्ष के रूप में पदस्थ अधिकारी

संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी	:	श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी (भा.प्र.से.)

आयोग में पदस्थ अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / सदस्य सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग	:	अध्यक्ष-मान. मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ उपाध्यक्ष- श्री अजय सिंह (से.नि.भा.प्र.से.) सदस्य सचिव- श्री अनुप कुमार श्रीवास्तव (से.नि.भा.व.से.)

विषय सूची

क्र	विभाग	संचालनालय/आयोग	पृष्ठ संख्या
1	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	1. आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय	1–15
		2. राज्य योजना आयोग	16–27

छत्तीसगढ़ शासन

20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

विभाग का नाम	:	20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग
प्रभारी मंत्री का नाम	:	श्री टी.एस. सिंहदेव

20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग मंत्रालय में पदस्थ अधिकारी

प्रमुख सचिव	:	श्री गौरव द्विवेदी (भा.प्र.से.)
अवर सचिव	:	श्री ए. केरकेट्टा

विभागाध्यक्ष के रूप में पदस्थ अधिकारी

संचालक, 20 सूत्रीय कार्यक्रम	:	श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी (भा.प्र.से.)

20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन राज्य स्तरीय समीक्षा समिति में पदस्थ अध्यक्ष/उपाध्यक्ष

राज्य स्तरीय समीक्षा समिति	:	अध्यक्ष-मान. मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ उपाध्यक्ष - श्री अजय अग्रवाल

विषय सूची

क्र	विभाग	संचालनालय/आयोग	पृष्ठ संख्या
1.	20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	1. 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	29–35

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, इन्द्रावती-भवन, नवा रायपुर अटल नगर जिला रायपुर

भाग-एक

विभागीय संरचना

राज्य की सामाजिक आर्थिक गतिविधियों में समन्वय, क्षेत्र सर्वेक्षण तथा विविध विषयों पर सांख्यिकी के एकत्रीकरण, सारणीयन एवं संकलित जानकारी के प्रस्तुतीकरण इत्यादि कार्यों को संपादित करने हेतु राज्य, जिला एवं जनपद मुख्यालय पर विभिन्न संवर्गों के अधिकारी एवं कर्मचारी पदस्थ हैं। वर्तमान में स्वीकृत एवं कार्यरत अमले का विवरण **परिशिष्ट–एक** में दर्शाया गया है।

अधीनस्थ कार्यालय

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के अधीनस्थ जिला स्तर पर प्रदेश के 28 जिलों में जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय स्थापित है। संचालनालय में प्रशासनिक एवं तकनीकी कार्यों के निष्पादन हेतु **09** संभाग हैं जिनका विवरण **परिशिष्ट–दो** में दर्शाया गया है।

संचालनालय के दायित्व

शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के सविन्यास, प्रशासन एवं विकास से संबंधित आधारभूत सांख्यिकी का संकलन, सर्वेक्षण, विश्लेषण, मूल्यांकन तथा उन्हें प्रकाशित कर सामाजार्थिक स्थिति का स्पष्ट एवं वास्तविक चित्रांकन करने एवं राज्य शासन के विभिन्न विभागों की सांख्यिकी गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने का महत्वपूर्ण दायित्व इस संचालनालय का है। राज्य शासन द्वारा संचालनालय को इस हेतु नोडल अभिकरण घोषित किया गया है ।

संचालनालय के प्रमुख कार्य

1. सामान्य जानकारी

1.1 आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के विन्यास हेतु विकास कार्यक्रमों एवं प्रशासकीय उपयोग हेतु वांछित सांख्यिकी का संकलन एवं विश्लेषण कार्य संपादित किया जाता है, साथ ही राज्य की सामाजिक आर्थिक स्थिति का आंकलन करने के अलावा राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा अपेक्षित सर्वेक्षण/मूल्यांकन अध्ययनों का निष्पादन का दायित्व भी संचालनालय का है ।

1.2 प्रचलित अधिनियम तथा नियम निम्नानुसार है :–

(अ) कारखाना अधिनियम,1948

(ब) जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969

(स) छत्तीसगढ़ राज्य जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2001

(द) सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008

(ई) सांख्यिकी संग्रहण नियम, 2011

1.3 संचालनालय अपने तकनीकी कार्यों के संपादन हेतु राष्ट्रीय नीति का पूर्णतः अनुसरण करता है । इसके अंतर्गत भारत सरकार के केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण कार्यालय, भारत के महारजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु पंजीयन) एवं नीति–आयोग के अनुदेशों तथा निर्देशों के अनुरूप उपयोगी सांख्यिकी का निर्धारित प्रारूपों में संकलन, संधारण तथा विभिन्न प्रकाशनों का प्रकाशन किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अनुसूचियों द्वारा राज्य स्तर पर भी संचालनालय में सर्वेक्षण संपादित किया जाता हैं।

1.4 केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय के मार्गदर्शन में राज्य के सकल/निवल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान तैयार किये जाते है ।

1.5 संचालनालय की सांख्यिकी गतिविधियों का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय नीतियों के परिपेक्ष्य में राज्य के सांख्यिकी तंत्र का सुदृढ़ीकरण कर प्रशासन, योजनाविदों तथा शोधकर्ताओं को उपयोगी सांख्यिकी उपलब्ध कराना है ।

2 प्रमुख गतिविधियाँ

2.1 राज्य की अर्थव्यवस्था संबंधी प्रकाशन

राज्य की सामाजिक स्थिति तथा उसे प्रभावित करने वाले प्रमुख घटकों एवं नीतियों का वार्षिक विश्लेषणात्मक अध्ययन छत्तीसगढ़ का **आर्थिक सर्वेक्षण** के रूप में प्रकाशित किया जाता है । प्रकाशन के अंतर्गत प्रमुख रूप से राज्यीय आय, कृषि– उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य विकास, वानिकी, जल–संसाधन, ऊर्जा, उद्योग, खनिज, परिवहन, श्रम एवं रोजगार, सहकारिता एवं बैंकिंग तथा सामाजिक क्षेत्र से संबंधित विभागों की विकासात्मक गतिविधियों के संबंध में अद्यतन जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। प्रतिवर्ष विधानसभा के बजट सत्र में यह प्रकाशन माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराया जाता है ।

2.2 राज्यीय आय (राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान)

राज्य की अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों का आंकलन करने के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) भारत सरकार, नई दिल्ली के मार्गदर्शन में प्रतिवर्ष राज्य के सकल/निवल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान (प्रचलित एवं स्थिर भावों पर) वर्ष 2017–18(प्रावधिक), 2018–19(त्वरित) एवं 2019–20 (अग्रिम) तैयार किये गये। इन अनुमानों को राज्यीय आय अध्याय के रुप में आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2019–20 में शामिल कर विधान सभा के बजट सत्र में पटल पर रखा गया।

2.3 बजट विश्लेषण

राज्य के वार्षिक बजट का आर्थिक उद्देश्यवार एवं वर्गीकरण भी संचालनालय द्वारा किया जाता है, जो राज्य की प्राथमिकताओं का सूचक है। संचालनालय द्वारा केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार के मार्गदर्शन के अनुसार राज्य शासन की वार्षिक बजट

वर्ष 2020–21 का वर्गीकरण कर वर्ष 2018–19(लेखा),2019–20 (पु.अ.) एवं 2020–21 (ब.अ.) की जानकारी तैयार कर केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय एवं संचालनालय के राज्यीय आय संभाग को क्रमशः राष्ट्रीय आय एवं राज्यीय आय के अनुमान तैयार करने हेतु उपलब्ध कराया गया है।

2.4 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्य

केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जनता के हित में नीति निर्माण हेतु राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के निर्देशानुसार प्रतिवर्ष निर्धारित विषय पर सर्वे कार्य का आयोजन किया जाता है। जिसके अंतर्गत घर–घर जाकर संबंधित विषयों पर प्राथमिक आंकड़े एकत्रित किये जाते हैं।

एन.एस.एस के **78वें दौर** में जनवरी 2020 से दिसम्बर 2020 तक **''घरेलू पर्यटन व्यय तथा विभिन्न सर्वेक्षण संकेतांक''** विषय की जानकारी 164 ग्रामीण एवं 120 नगरीय कुल 284 प्रतिदर्शों के माध्यम से एकत्रित किया जाना था। जिसमें कुल 115 प्रतिदर्शों का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

2.5 जन्म–मृत्यु पंजीयन कार्य

राज्य में जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन कार्य भारत सरकार के जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 एवं छत्तीसगढ जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2001 के प्रावधानों के तहत किया जाता है।

(1) जन्म–मृत्यु पंजीयन संबंधी अधिनियम/नियम–

(अ) जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969

(ब) छत्तीसगढ़ राज्य जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2001

(2) जन्म–मृत्यु पंजीयन हेतु पदाधिकारीगण–

उक्त अधिनियम एवं नियम में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन द्वारा निम्नांकित पदाधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है–

पदनाम	पदाधिकारी	अधिकारिता
संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी	मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य
संयुक्त संचालक (जीवनांक)	संयुक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य
उप संचालक (जीवनांक)	उप मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य
सहायक संचालक (जीवनांक)	सहायक मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य
संभागीय आयुक्त	संभागीय मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)	राजस्व संभाग के भीतर
कलेक्टर	अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)	राजस्व जिले के भीतर
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत	सहा. अति. मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)	राजस्व जिले के भीतर
जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी	जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)	जिले के भीतर
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)	जनपद पंचायत के भीतर
आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत	रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)	निकाय क्षेत्र में
सचिव, ग्राम पंचायत	रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)	पंचायत क्षेत्र में
प्रभारी अधिकारी, समस्त शासकीय अस्पताल	रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)	संस्था में
प्रभारी अधिकारी, उप स्वास्थ्य केन्द्र	उप रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)	संस्था में

जन्म–मृत्यु पंजीयन के सुदृढ़ीकरण हेतु शासन के प्रयास –

छत्तीसगढ़ राज्य में जन्म एवं मृत्यु पंजीयन के सुदृढ़ीकरण को एक अभियान के रूप में लिया गया है । जन्म एवं मृत्यु पंजीयन स्तर मे विधि एवं सरलीकरण करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा निम्न लिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं–

1. राज्य के समस्त शासकीय अस्पतालों को पंजीयन इकाई बनाया गया है।

2. राज्य में भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय के साफ्टवेयर में आनलाइन जन्म–मृत्यु पंजीयन प्रारंभ किया गया है, जिसके द्वारा वर्तमान में अधिकांश शहरी एवं कुछ ग्रामीण पंजीयन इकाईयों में पंजीयन किया जा रहा है । इसे शीध्र ही समस्त ग्रामीण इकाईयों में भी लागू किया जाना प्रस्तावित है ।

3. जन्म और मृत्यु पंजीयन के संबंध मे जिला रजिस्ट्रार एवं उनके कर्मचारियों को आनलाइन प्रशिक्षण दिया गया।

4. विलंबित पंजीयन को सरल करने हेतु आवश्यक शपथ पत्र (नोटरी) के स्थान पर स्व–प्रमाणित शपथ पत्र को मान्य किया गया है, जिसे ए.एन.एम./ एम.पी.डब्ल्यू./ स्कूल के प्राचार्य द्वारा सत्यापित किया जाता है।

5. निम्नानुसार उपलब्धियां रही है–

   जन्म पंजीयन का प्रतिशत–वर्ष 2019 – 92.4 प्रतिशत

   मृत्यु पंजीयन का प्रतिशत–वर्ष 2019 – 94.6 प्रतिशत

साथ ही वर्ष 2020 में MIS के अनुसार वर्तमान में जन्म पंजीयन 70.06 प्रतिशत एवं मृत्यु पंजीयन 77.77 प्रतिशत हुआ है।

2.6 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अंतिम औद्योगिक श्रमिको के परिवारिक आय–व्ययों का पायलेट सर्वेक्षण भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय श्रम ब्यूरो–शिमला के द्वारा

सम्पन्न कराया जा रहा है। वर्ष 2014–15 में छत्तीसगढ राज्य के तीन जिलों का चयन कर लिया गया है। चयनित जिलों के अंतिम बाजार निम्नानुसार हैः–

क्रमांक	जिला	बाजार
1	रायपुर	I- गोल बाजार
		II- बीरगांव
2	कोरबा	I- निहारिका
		II- कोसाबाड़ी
		III- ट्रांसपोर्ट नगर
3	दुर्ग (भिलाई)	I- आकाशगंगा
		II- केम्प–2

2.7 वार्षिक कार्यकलाप

(क) वर्ष 2020–21 में प्रकाशित प्रकाशन

1. छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण 2020–21 (फरवरी 2021 में प्रस्तावित)
2. छत्तीसगढ़ के राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान वर्ष 2011–2012 से 2019–2020(अ)
3. छत्तीसगढ़ का सांख्यिकी संक्षेप वर्ष 2019–20(मार्च 2021 में प्रस्तावित)
4. छत्तीसगढ़ एक दृष्टि में वर्ष 2020(मार्च 2021 में प्रस्तावित)
5. अधिनियम के कार्यकरण पर वार्षिक रिपोर्ट– 2019
6. छत्तीसगढ़ राज्य के बजट का आर्थिक एवं उददेश्यवार वर्गीकरण वर्ष 2017–18 (लेखा) वर्ष 2018–19(पुनरीक्षित) एवं वर्ष 2019–20(बजट अनुमान)
7. वार्षिक जीवनांक सांख्यिकी प्रतिवेदन– 2019
8. राज्य में होने वाले संस्थागत एवं गैर–संस्थागत मृत्यु के कारणों का चिकित्सकीय प्रमाणीकरण (Medical Certification of Cause of Death - MCCD) की वार्षिक रिपोर्ट–2019

(ख) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनांतर्गत 16 वीं लोकसभा हेतु 30 नवम्बर 2020 की स्थिति में कुल प्राप्त राशि 30,094.14 लाख रूपये, भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य हेतु जारी किया गया है, जिसमें से राशि रू. 29,550.03 लाख की लागत से 8,059 कार्य स्वीकृत किये गये हैं, जिसमें से 7,687 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। 17 वीं लोकसभा हेतु 30 नवम्बर 2020 की स्थिति में कुल प्राप्त राशि 3,538.37 लाख रूपये, भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य हेतु जारी किया गया है, जिसमें से राशि रू. 3,404.65 लाख की लागत से 756 कार्य स्वीकृत किये गये हैं, जिसमें से 402 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। राज्यसभा सदस्यों हेतु 30 नवम्बर 2020 की स्थिति में कुल प्राप्त राशि रू. 12,647.07 लाख रूपये, भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य हेतु जारी किया गया है, जिसमें से राशि रू. 12,231.02 लाख की लागत से 2,964 कार्य स्वीकृत किये गये हैं, जिसमें से 2,693 कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

(ग) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनांतर्गत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के मान से रूपये 200.00 लाख का प्रावधान है, जिसमें से प्रत्येक माननीय विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास हेतु राशि रूपये 148.00 लाख एवं माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा राशि रूपये 50.00 लाख के विकास एवं निर्माण कार्य हेतु अनुशंसा कर सकते हैं। शेष 1 प्रतिशत की राशि रू. 2.00 लाख आकस्मिक निधि के रूप में मार्गदर्शिका के दिशा–निर्देश के अनुसार व्यय करने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु 30 नवंबर 2020 तक कुल राशि रू. 6,335.40 लाख के 1918 कार्य स्वीकृत किये गये हैं, जिसमें से 420 कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

प्रशिक्षण शाखा

वर्ष 2020–21 में कोविड–19 महामारी होने से सभी प्रशिक्षण संस्थाओं से प्रस्ताव प्राप्त नही होने के कारण प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसी भी अधिकारी/कर्मचारियों को नामांकित नही किया जा सका है।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से चयनित नव नियुक्त सहायक संचालकों को जिलों में ही कार्यालयवार यथा संस्थावार प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया है।

भाग-दो

बजट विहंगावलोकन :–

संचालनालय को आलोच्य वर्ष 2020–21 में सांख्यिकी गतिविधियों के संचालन हेतु योजनान्तर्गत निम्नानुसार आबंटन प्राप्त हुआ है –

(राशि रू. हजार में)

योजनाशीर्ष	वर्ष 2020–21 वास्तविक व्यय (दिसम्बर 2020)	वर्ष 2020–21 पुनरीक्षित प्रस्ताव
1	2	3
1430 – जन्म–मृत्यु संबंधी आंकड़ों का संकलन	14603	37470
0512 – नमूना सर्वेक्षण	10217	19890
8048 – आर्थिक एव सांख्यिकी संचालनालय	170029	300510
योग	**194849**	**357870**
2987 – बीस सूत्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन	19599	34675
योग	**19599**	**34675**

भाग-तीन

संचालनालय द्वारा वर्तमान में निम्नवत राज्य/केन्द्र प्रवर्तित/केन्द्र क्षेत्रीय सामान्य परियोजनाएँ संचालित की जा रही है : –

(राशि रू. हजार में)

योजना शीर्ष	वर्ष 2020–21 वास्तविक व्यय (दिसम्बर 2020)	वर्ष 2020–21 पुनरीक्षित प्रस्ताव
1	2	3
राज्य – आयोजना		
6562 – जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 का प्रभावी कियान्वयन	144	2210
6564 – संभागीय एवं जिला सांख्यिकी क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण	54	480
6293 – सांख्यिकी अमले का प्रशिक्षण कार्यक्रम	4	340
केन्द्र प्रवर्तित योजना		
5501 – नागरिकता पंजीयन एवं जन्म–मृत्यु सांख्यिकी प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	0	0
केन्द्र क्षेत्रीय योजना		
7604 – भवन सांख्यिकी सर्वेक्षण	0	400
योग	**202**	**3430**

भाग-चार

सामान्य प्रशासनिक विषय

निरंक

भाग-पांच

अभिनव योजनाएँ

निरंक

भाग-छः

प्रकाशन

आलोच्य अवधि में प्रकाशित प्रकाशनों का परिचयात्मक विवरण निम्नानुसार है :–

1. आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2020–21:–

विभागीय जानकारी के आधार पर ''छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण 2020–21'' तैयार किया जा रहा है, जो कि विधानसभा के बजट सत्र में प्रस्तुत किया जावेगा। इस प्रकाशन में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, ग्रामीण विकास, विशेष क्षेत्र विकास, जल संसाधन, परिवहन संसाधन, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी विकास के साथ ही सामाजिक विषयों से संबद्ध क्षेत्रों में अभिज्ञापित उपलब्धियों का उल्लेख राज्य के संदर्भ में किया गया है।

2. छत्तीसगढ़ के राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान वर्ष 2011–12 से 2020–21(अ):–

इस प्रकाशन में राज्य के घरेलू उत्पाद के अनुमान–सकल/निवल (प्रचलित एवं स्थिर भावों पर) संचालनालय द्वारा तैयार कर प्रकाशित किये गये, जिसमें प्रति व्यक्ति आय (सकल/निवल–प्रचलित एवं स्थिर भावों पर) का भी आकलन प्रस्तुत किया गया है।

3. छत्तीसगढ़ राज्य के बजट का आर्थिक एवं उददेश्यवार वर्गीकरण वर्ष 2017–18 (लेखा) वर्ष2018–19 (पुनरीक्षित) एवं वर्ष 2019–20 (बजट अनुमान):–

इस प्रकाशन में उद्देश्य के अनुसार वित्तीय प्रावधान एवं उसके सापेक्ष परिव्यय का उल्लेख किया जाता है।

4. छत्तीसगढ़ का सांख्यिकी संक्षेप वर्ष 2019–20

इस प्रकाशन में छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित सामाजार्थिक विकास के संकेतांक संबंधी महत्वपूर्ण आंकड़ों को राज्य स्तर पर जिलेवार तालिकाओं में प्रकाशित किया गया है।

5. छत्तीसगढ़ एक दृष्टि में वर्ष 2020:–

इस प्रकाशन में प्रशासनिक, कृषि, ग्रामीण एवं विकास, जल, परिवहन एवं सामाजिक विषयों से संबंधित प्रमुख संकेतांको के आधार पर आंकड़ें प्रस्तुत किये गये हैं, जिसमें राज्य के विकास की अवधारणा का प्रबोधन किया गया है।

6. अधिनियम के कार्यकरण पर वार्षिक रिपोर्ट– 2019

राज्य में सम्बंधित वर्ष में पंजीयन की प्रगति के लिए किये गए प्रयास एवं उसके आधार पर प्रगति का विश्लेषण किया जाता है।

7. वार्षिक जीवनांक सांख्यिकी प्रतिवेदन– 2019

जन्म एवं मृत्यु से सम्बंधित आंकड़ों का राज्य के समस्त पंजीयन इकाइयों से संकलन एवं 44 प्रकार के विश्लेषणात्मक सारणी तैयार कर राज्य शासन एवं भारत के महारजिस्ट्रार को प्रेषित की जाती है।

8. राज्य में होने वाले संस्थागत एवं गैर–संस्थागत मृत्यु के कारणों का चिकित्सकीय प्रमाणीकरण (Medical Certification of Cause of Death) की वार्षिक रिपोर्ट– 2019

राज्य में होने वाले मृत्यु का वर्गीकरण एवं उनका क्षेत्रवार वितरण की जानकारी, जिसका उपयोग स्वास्थ्य से सम्बंधित योजना तैयार करने में किया जा सकता है।

परिशिष्ट–एक

मुख्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों के स्वीकृत एवं भरे पदों की जानकारी
(01.01.2021 की स्थिति में)

क्र.	पदनाम	कुल स्वीकृत पद			भरे हुए पद			रिक्त पद		
		मुख्यालय	जिला	योग	मुख्यालय	जिला	योग	मुख्यालय	जिला	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	प्रथम श्रेणी									
1	संचालक	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	अपर संचालक	1	0	1	1	0	1	0	0	0
3	संयुक्त संचालक	3	0	3	1	0	1	2	0	2
4	उप संचालक	3	27	30	2	14	16	1	13	14
	योग प्रथम श्रेणी	**8**	**27**	**35**	**5**	**14**	**19**	**3**	**13**	**16**
	द्वितीय श्रेणी									
1	सहायक संचालक योजना/सांख्यिकी	13	54	67	6	34	40	7	20	27
	योग द्वितीय श्रेणी	**13**	**54**	**67**	**6**	**34**	**40**	**7**	**20**	**27**
	तृतीय श्रेणी									
1	सहा.प्रोग्रामर	1	0	1	0	0	0	1	0	1
2	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	36	122	158	29	84	113	7	38	45
3	अन्वेषक/खण्ड स्तर अन्वेषक	14	165	179	9	63	72	5	102	107
4	संगणक(डाटा एन्ट्री ऑपरेटर)	6	54	60	6	30	36	0	24	24
5	अधीक्षक	1	0	1	1	0	1	0	0	0
6	निज सहायक	1	0	1	1	0	1	0	0	0
7	शीघ्रलेखक	1	0	1	0	0	0	1	0	1
8	स्टेनोटायपिस्ट	4	18	22	0	0	0	4	18	22
9	कनिष्ठ लेखाधिकारी	1	0	1	1	0	1	0	0	0
10	कनिष्ठ लेखा परीक्षक	1	0	1	0	0	0	1	0	1
11	सहायक ग्रेड–1	4	7	11	3	1	4	1	6	7
12	सहायक ग्रेड–2	5	27	32	4	18	22	1	9	10
13	सहायक ग्रेड–3	20	61	81	1	15	16	19	46	65
14	वाहन चालक(नियमित)	5	7	12	2	3	5	1	3	4
15	सीधी भर्ती से स्वीकृत पदों की पूर्ति कले.दर से	0	0	0	2	1	3	0	0	0
16	वाहन चालक (आकस्मिकता निधि अंतर्गत कले.दर पर भर्ती)	3	20	23	3	10	13	0	10	10
	योग तृतीय श्रेणी	**103**	**481**	**584**	**62**	**225**	**287**	**41**	**256**	**297**
	चतुर्थ श्रेणी									
1	जमादार	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	भृत्य(नियमित)	15	61	76	4	22	26	4	36	40
3	भृत्य (कलेक्टर दर के माध्यम से भरे पद)	0	0	0	7	3	10	0	0	0
4	चौकीदार	2	0	2	2	0	2	0	0	0
5	स्वीपर/फर्राश/वाटरमैन(कले.दर)	5	36	41	4	31	35	1	5	6
	योग चतुर्थ श्रेणी	**23**	**97**	**120**	**18**	**56**	**74**	**5**	**41**	**46**
	कुल योग	**147**	**659**	**806**	**91**	**329**	**420**	**56**	**330**	**386**

परिशिष्ट–दो

संचालनालय के संभाग एवं निष्पादित कार्यविवरण

1- I. जिला सांख्यिकी तंत्र	1. जिलों का तकनीकी मार्गदर्शन एवं निरीक्षण 2. जिले की प्रकाशनों की समीक्षा एवं दिशा–निर्देश 3. तकनीकी कार्यों की अर्धवार्षिक / वार्षिक समीक्षा
II. सांख्यिकी समन्वय एवं प्रशिक्षण	1. राज्य के समस्त विभागों की सांख्यिकी गतिविधियों की समीक्षा, मार्गदर्शन 2. विभागीय अधिकारियों / कर्मचारियों का प्रशिक्षण
2- I. सामाजिक एवं आर्थिक विश्लेषण .	1. प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन गणना 2. आर्थिक सर्वेक्षण 3. छत्तीसगढ़ एक दृष्टि में 4. छत्तीसगढ़ का सांख्यिकी संक्षेप
II. प्रकाशन / पुस्तकालय	1. राज्य स्तरीय प्रकाशनों का प्रकाशन 2. पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का क्रय, एवं विभागीय प्रकाशनों का वितरण एवं संधारण
3- I. राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण	1. राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्य का सर्वेक्षण, सारणीयन एवं प्रतिवेदन
II. अन्य सर्वेक्षण एवं गणनाएं	1. सातवीं आर्थिक गणना
4- I. राज्यीय आय	1. राज्य / जिला स्तरीय घरेलू उत्पाद के अनुमान
II. लोक वित्त एवं बजट विश्लेषण	1. राज्य एवं स्थानीय संस्थाओं के आय व्ययक का आर्थिक उद्देश्यवार वर्गीकरण करना 2. राज्य शासन की वार्षिक बजट के आधार पर छत्तीसगढ़ आय–व्ययक संक्षेप में तैयार करना
III. बाजार समाचार	1. थोक / फूटकर मूल्यों का संकलन / समीक्षा 2. कृषि उपज मंडियों का निरीक्षण 3. छत्तीसगढ़ में कृषि विपणन
IV. वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण	केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय कोलकाता द्वारा आबंटित औद्योगिक इकाईयों का वार्षिक सर्वेक्षण करना
V. औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक	केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय नई दिल्ली द्वारा आबंटित औद्योगिक इकाईयों से मासिक उत्पादन की जानकारी प्राप्त कर सूचकांक तैयार करना

5- I. औद्योगिक, खनिज, ऊर्जा एवं उत्पादन के सूचकांक सांख्यिकी	1. औद्योगिक, खनिज, एवं ऊर्जा सांख्यिकी 2. सार्वजनिक क्षेत्रों का लेखा विश्लेषण 3. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, समाज कल्याण, औद्योगिक सामाजिक सुरक्षा सांख्यिकी
II. भवन एवं गृह निर्माण सांख्यिकी	1 गृह एवं भवन निर्माण सांख्यिकी 2. इमारती सामान के थोक भावों की जानकारी
6. जीवनांक सांख्यिकी	1. जन्म–मृत्यु पंजीयन प्रणाली का संचालन, पर्यवेक्षण निरीक्षण एवं समीक्षा 2. वार्षिक जीवनांक प्रतिवेदन 3. जन्म– मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के कार्यकरण पर वार्षिक प्रतिवेदन 4. मृत्यु के कारणों का चिकित्सा आधार पर वर्गीकरण एवं प्रतिवेदन
7. बीस सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना	1. संबंधित विभागों से प्रगति का मासिक संकलन, संधारण एवं संप्रेषण 2. केन्द्र द्वारा की गई समीक्षा की अनुवर्तन कार्यवाही
8. I. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	1. मासिक/त्रैमासिक समीक्षा 2. बैठक आयोजित करना एवं निर्देश प्रसारित करना
I I. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	1. मासिक/त्रैमासिक समीक्षा करना 2. जिला स्तर पर आ रही कठिनाइयों का निराकरण कर दिशानिर्देश /मार्गदर्शन देना 3. योजनांतर्गत अंकेक्षण, मॉनिटरिंग करना
9. I. प्रशासन	1. प्रशासन, स्थापना, लेखा एवं लेखा परीक्षण तथा बजट प्रस्ताव तैयार करना ।
II.सूचना का अधिकार	1. प्रभावी अधिनियमों के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समयावधि में निराकरण एवं प्रतिवेदन ।

राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ

भाग– 1

पृष्ठभूमि

राज्यों के योजना संगठनों, (राज्य योजना मंडल / राज्य योजना आयोग) की राज्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रीय स्तर पर योजना आयोग के नीति (National Institute for Transforming India-NITI) आयोग के रूप में परिवर्तित होने से राज्यों के योजना संगठनों की भूमिका में भी परिवर्तन आया है। अब राज्यों के योजना संगठन योजना निर्माण के स्थान पर अथवा योजना निर्माण के साथ राज्यों के लिये 'थिंक टैंक' (Think Tank) सलाहकार, ज्ञान एवं सुझावों के संयोजक के रूप कार्य कर रहे हैं।

आयोग का गठन, नाम परिवर्तन एवं पुर्नगठन

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त, वाणिज्य कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के आदेश दिनांक 10 जनवरी, 2001 द्वारा राज्य योजना मंडल का गठन किया गया। योजना मंडल में राज्य शासन के विभिन्न विभागों यथाः वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, वन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, कृषि, जनजाति विकास, जल संसाधन विभागों के सचिवों को सदस्य बनाये गए। 12 अगस्त, 2010 को राज्य योजना मंडल का नाम परिवर्तन कर राज्य योजना आयोग किया गया।

7 जनवरी, 2020 को 'राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़' के पुर्नगठन करते हुए राज्य शासन द्वारा आयोग में एक पूर्ण कालिक उपाध्यक्ष, राज्य मंत्रीपरिषद से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा माननीय योजना मंत्रीजी सहित 4 पदेन सदस्य का मनोनयन निर्धारित किया गया। इसके अलावा 1 पूर्णकालीन सदस्य, कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक क्षेत्र, अर्थशास्त्र से अधिकतम उपलब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति को अशासकीय सदस्य तथा अधिकतम 2 अंशकालीन सदस्य राज्य के प्रमुख विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों एवं अन्य प्रासंगिक संस्थाओं से एक वर्ष के चक्रीय आधार पर पदेन सदस्य के रूप में राज्य शासन द्वारा

मनोनीत किये जायेंगे। मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, भारसाधक सचिव, वित्त/योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी/पंचायत एवं ग्रामीण विकास/नगरीय प्रशासन एवं विकास/कृषि विज्ञान एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी तथा आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास को स्थाई आमंत्रित के रूप में लिया गया है। राज्य शासन द्वारा सचिव स्तरीय अधिकारी को पूर्णकालिक सदस्य सचिव पदस्थ करने का भी प्रावधान किया गया है।

आयोग के दायित्व

राज्य योजना आयोग के पुर्नगठन के साथ साथ आयोग के दायित्वों का भी निर्धारण किया गया है, जो निम्नानुसार है :–

- राज्य के आर्थिक एवं मानव संसाधनों का मूल्यांकन कर उनके सर्वाधिक प्रभावी उपयोग एवं राज्य के समस्त क्षेत्रों के संतुलित विकास के उपाय सुझाना।

- सतत् संपोषणीय विकास (SDG) तथा ''जन घोषणा पत्र'' के उद्देश्यों एवं ''इंटर–जनरेशन इक्विटी'' के सिद्धांत को केन्द्र में रखकर योजना निर्माण के संदर्भ में विभागों को सुझाव देना।

- विकेन्द्रीकृत योजना (Decentralized Planning) निर्माण, समीक्षा एवं इन योजनाओं के आधार पर संसाधन वितरण की प्राथमिकता निर्धारण करने के लिए राज्य शासन को समय–समय पर सुझाव देना।

- शासन द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की आवश्यकतानुसार समीक्षा एवं मूल्यांकन (Evaluation) करना तथा उनमें सुधार के संबंध में शासन को सुझाव देना।

- विभिन्न सेक्टर्स में राज्य के विकास के लिए उपयोगी निदानात्मक/विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रायोजित करना एवं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल पाई गई नीतियों व (Best Practices) का अध्ययन कर राज्य में लागू किये जाने के संदर्भ में राय देना।

- नवाचारों का अध्ययन कर प्रोत्साहित करने हेतु शासन को सुझाव देना।
- शासन एवं शासनेत्तर विषयों पर राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनायी जा रही नीतियों का अध्ययन करना व राज्य के लिए नीति नेतृत्व (Policy Lead) प्रदान करते हुए थिंक टैंक के रूप में कार्य करना।
- समय–समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी एवं अध्यक्ष, राज्य योजना आयोग द्वारा प्रदत्त अन्य कार्यों को संपादित करना।

आयोग की कार्यप्रणाली

राज्य योजना आयोग द्वारा समकालीन अनुसंधानों, नवप्रवर्तनों, सर्वश्रेष्ठ प्रणालियाँ (Best Practieas) की जानकारी प्राप्त करने तथा राष्ट्रीय परिदृश्य एवं प्रदेश के संदर्भ में उनकी उपयोगिता की संभावना पर विचार करने के लिये विभिन्न प्रासंगिक विषयों पर बैठकों का आयोजन, गोष्ठियों, कार्यशालाओं एवं कॉनक्लेव आदि का आयोजन किया जाता है। इन कार्यक्रमों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ–साथ केन्द्र सरकार, स्थानीय शासकीय अधिकारियों एवं अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों की सहभागिता भी रहती है। कॉनक्लेव इत्यादि में विचार–विमर्श उपरांत सहमत बिन्दुओं पर अनुशंसाएँ राज्य शासन को प्रेषित की जाती है।

आयोग द्वारा संपादित गतिविधियाँ–

सामाजिक, आर्थिक विकास एवं राज्य के नीति निर्धारण से संबंधित विषयों पर, राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़ द्वारा विगत वर्ष में की गई गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार है :–

कोविड के दुष्प्रभावों के शमन हेतु रणनीति पत्र –

कोविड –19 और उससे उपजी परिस्थितियों के दुष्प्रभावों के शमन के लिए राज्य योजना आयोग द्वारा रणनीति पत्र तैयार कर शासन को कार्यवाही हेतु सौंपा गया। रणनीति

पत्र में अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने तत्कालिक उपायों, संकटग्रस्त व असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को राहत पहुंचाने, कमजोर वर्गों यथा– दिव्यांगों, बच्चों, महिलाओं के कल्याण हेतु उपाय सुझाए गये हैं। रणनीति पत्र में कृषि व उद्योगों पर पड़े दुष्प्रभावों को कम करने और पुनरूद्धार के उपायों और ग्रामीण बेरोजगारी कम करने के लिए उपायों को भी शामिल किया गया।

कोविड प्रकोष्ठ की स्थापना –

कोविड के शमन व सहायता से संबंधित विभागीय गतिविधियों के एकीकृत प्लेटफार्म निर्माण के उद्देश्य से यूनिसेफ के सहयोग से राज्य योजना आयोग के अंतर्गत कोविड प्रकोष्ठ का निर्माण किया गया। कोविड प्रकोष्ठ, राज्य योजना आयोग द्वारा राज्य के मेडिकल कालेजों, आयुर्वेदिक कॉलेजों सहित, के अंतिम वर्ष के 200 विद्यार्थियों को कोविड के मरीजों की मनो–चिकित्सीय समस्याओं के समाधान हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया।

प्रवासी मजदूरों को आजीविका व रोजगार उपलब्ध कराने उद्योगों के साथ लिंकेज –

कोविड प्रकोष्ठ द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन 'रोजगार संगी' के माध्यम से प्रवासी मजदूर का डाटा लिया जाता है साथ ही राज्य में स्थापित उद्योगों में मजदूरों की आवश्यकता की जानकारी ली जाती है। जिससे उद्योग हेतु वांछित स्किल सेट वाले मजदूर को रोजगार पाने में सहूलियत हो सके।

कोविड सहायता पटल वेबसाइट का निर्माण –

राज्य शासन के विभागों के कोविड के संदर्भ में किये जा रहे प्रयासों, जारी मार्गदर्शिकाओं के जनसामान्य तक पंहुचाने कोविड सहायता पटल वेबसाइट का निर्माण राज्य योजना आयोग द्वारा किया गया है, इसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन द्वारा दिनांक 05 जून 2020 को किया गया। वेबसाइट के माध्यम से कोविड–19 महामारी के संदर्भ में राज्य के क्वारंटाइन सेंटर्स की जानकारी, विभिन्न विभागों के द्वारा किये जा रहे सहायता कार्यक्रम की जानकारी, प्रभावित वर्गों को सहायता पहुंचाने हेल्पलाइन नंबर इत्यादि के माध्यम से जनसामान्य को सहायता पहुंचायी जा रही है।

अत्यधिक प्रभावित वर्ग तक प्रभावी सेवा प्रदाय हेतु स्टडी–

कोविड बुजुर्ग, महिलाओं विशेषकर गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं एवं किशोरियों, बच्चों को हुए प्रभाव व उसके शमन हेतु प्रभावी योजना क्रियान्वयन के लिए स्टडी। महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के सामंजस्य से उनकी योजनाएं यथा मातृत्व वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना इत्यादि के बेहतर क्रियान्वयन हेतु सुझाव दिए गए।

शोध अनुसंधान विंग स्थापना –

राज्य योजना आयोग के अंतर्गत राज्य के विकासात्मक शोध अनुसंधानों को प्रोत्साहन देने के लिए शोध/अनुसंधान विंग की स्थापना की गयी है। शोध/अध्ययनों को स्वीकृति देने के लिए शोध मूल्यांकन समिति का गठन भी किया गया है। विभिन्न विश्वविद्यालयों/शोधकर्ताओं से प्राप्त शोध प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गयी है।

राज्य योजना आयोग और विश्वविद्यालयों / उच्च शैक्षणिक संस्थानों के मध्य अनुबंध –

राज्य योजना आयोग और विश्वविद्यालयों / उच्च शैक्षणिक संस्थानों के मध्य अनुबंध किया गया है। यह अनुबंध राज्य से प्रासंगिक विषयों पर शोध संबंधी सहायता एवं पारस्परिक सहायता के लिए किया गया है।

कार्यदलों व कार्यसमूहों का गठन –

राज्य के संतुलित विकास के लिए चयनित विषयों पर कार्यदलों व कार्यसमूहों का गठन किया जा रहा है। आयोग के अंतर्गत कृषि, जल संवर्धन, खाद्य व लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं संबद्ध क्षेत्रों का विकास, आदिवासी विकास, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण व खाद्य सुरक्षा, उद्योग, कौशल विकास, उच्च व तकनीकी शिक्षा, तथा रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, कला एवं संस्कृति संवर्धन, पर्यटन एवं ग्रामोद्योग के क्षेत्रों में सुझाव देने विशेषज्ञों, विभागों के प्रतिनिधियों के साथ कार्यदलों के गठन की कार्यवाही की जा रही है।

सतत् विकास लक्ष्य इण्डिकेटर फ्रेमवर्क व बेसलाइन रिपोर्ट निर्माण –

सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा विजन डॉक्यूमेंट 2030 तैयार किया गया है। समस्त विभागों से आयोग कार्यालय में विभिन्न कार्यशालाओं के माध्यम से चर्चा कर सतत विकास लक्ष्य से संबंधित स्टेट इण्डिकेटर फ्रेमवर्क का निर्माण किया गया है तथा बेसलाइन प्रतिवेदन निर्माण किया जा रहा है। राज्य शासन के बजट को भी सतत विकास लक्ष्य से संरेखित करने हेतु आयोग द्वारा वित्त विभाग को लेख किया गया है।

सतत् विकास लक्ष्यों के संबंध में संवेदीकरण–

राज्य योजना आयोग द्वारा राज्य के विश्वविद्यालय के शिक्षक व छात्र समुदायों को सतत विकास लक्ष्य से परिचय कराने व संवेदीकरण हेतु वेबीनार का आयोजन किया गया।

नवाचार प्रोत्साहन हेतु अभिरूचि की अभिव्यक्ति –

राज्य में नवाचार एवं उद्यमिता विकास की संभावनाओं को प्रोत्साहित करने तथा नवप्रवर्तकों की बौद्धिक संपदा को संरक्षित करने के उद्देश्य से आयोग द्वारा राज्य में नवाचार एवं उद्यमिता विकास हेतु गाइडलाईन तैयार कर जारी की गयी है। प्रदेश में ऐसे नवाचारों को जिनकी पहचान एवं उपयोगिता समाज हित में है तथा इससे निकलने वाली संभावनाओं को प्रोत्साहित करने तथा उद्यमिता विकास के द्वारा जिसे आगे वाणिज्यक पैमाने पर बढ़ाये जाने की संभावना विद्यमान हो, उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोग द्वारा नवाचार हेतु प्रस्तावों को आमंत्रित किया गया है। इसके अंतर्गत नवाचार हेतु अनुदान देने, उन्हें विज्ञान सम्मत बनाए जाने, मूल्य संवर्धन, प्रोटोटाइप विकास और वाणिज्यिक पैमाने पर बढ़ावा देने आदि हेतु सहायता उपलब्ध कराये जाने की योजना है।

इथेनॉल निर्माण इकाई

राज्य में उत्पादित अतिशेष धान व गन्ना के मोलसेस से इथेनॉल निर्माण इकाई की आवश्यकता को देखते हुए राज्य योजना आयोग ने इस पर अवधारणा पत्र शासन को प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर इथेनॉल निर्माण इकाई की स्थापना की कार्यवाही की जा रही है।

जिला योजना का सुदृढ़ीकरण –

भारत के संविधान के 73 वें एवं 74 वें संशोधन द्वारा स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। जिसमें विकेन्द्रीकृत नियोजन अपनाने का विस्तृत आधार प्रदाय किया गया है। राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़ के द्वारा सभी जिलों में ''जिला योजना'' तैयार करवायी जाती है। प्रदेश के सभी जिलों से प्राप्त जिला योजना को संकलित कर विभागों से साझा की जाती है। सभी जिलों द्वारा जिले के स्थिति विश्लेषण के साथ, सात क्षेत्रकों, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आजीविका, अधोसंरचना, ऊर्जा प्रबंधन, नागरिक अधिकार संरक्षण एवं सशक्तिकरण के बिन्दुओं पर पूर्व के वर्षों में जिला योजना तैयार की गई है। सतत् विकास लक्ष्य आधारित विकेन्द्रीकृत जिला योजना मार्गदर्शिका तैयार किया गया है, जिसके अनुरूप जिलों की जिला योजना का प्रारूप तैयार कराया जा रहा है।

कोविड रिकवरी प्लान–

यूनिसेफ एवं यूएनडीपी के सहयोग से पोस्ट कोविड रिकवरी प्लान का निर्माण किया जा रहा है।

ग्रामीण रोजगार केंद्र –

शासन की फ्लैगशिप योजना 'सुराजी गांव योजना' की अवधारणा राज्य योजना आयोग द्वारा विकसित की गयी। पांच हजार से अधिक गौठानों के स्वीकृति पश्चात् गोबर क्रय एवं वर्मी कम्पोस्ट निर्माण संबंधी योजना की रूपरेखा निर्माण किया गया। स्वसहायता समूहों द्वारा गौठानों के उत्पाद यथा– गोबर गोमूत्र व अन्य प्राकृतिक उत्पादों से गमला, दिया, अगरबत्ती, कीटनाशक, फिनाइल, साबुन इत्यादि निर्माण ग्रामीण रोजगार केंद्र के माध्यम से किया जा रहा है। अगले चरण में ग्रामीण रोजगार केंद्र का सुदृढ़ीकरण कर गतिविधियों के विस्तार से अधिक से अधिक आय अर्जन हेतु प्रोटोटाइप क्लस्टर के निर्माण हेतु प्रयास जारी है।

भाग-दो

राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ का बजटीय प्रस्ताव 2020–21

(राशि लाख रूपयों में)

क्र.	योजना शीर्ष एवं क्रमांक	स्वीकृत बजट वर्ष 2020–21	पुनरीक्षित अनुमान वर्ष 2020–21	वर्ष 2020–21 का माह दिसम्बर 2020 तक वास्तविक व्यय	बजट अनुमान 2021–22	वित्त विभाग द्वारा पारित वर्ष 2021–22
1	2	3	4	5	6	7
1.	**मांग संख्या–31, मुख्य लेखा शीर्ष –3451**					
	3686– राज्य योजना आयोग (आयोजनेत्तर)	565.40 0.20	559.40 0.20	244.76 -	609.40 0.20	609.40 0.20
	योग	**565.40**	**559.40**	**244.76**	**609.40**	**609.40**
	7639– राज्य योजना का सुदृढ़ीकरण, मूल्यांकन एवं अनुसंधान	1037.00	1037.00	14.82	841.00	841.00
	योग	**1037.00**	**1037.00**	**14.82**	**841.00**	**841.00**
2.	**मांग संख्या–60 मुख्य लेखा शीर्ष – 3451**					
	7282– जिला योजना का सुदृढ़ीकरण (आयोजना)	65.00	65.00	3.81	65.00	65.00
	योग	**65.00**	**65.00**	**3.81**	**65.00**	**65.00**

भाग-तीन

राज्य योजनाएँ एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना – निरंक

भाग-चार

सामान्य प्रशासनिक विषय – निरंक

भाग-पांच

निरंक

भाग-छः

प्रकाशन

"दिशा" न्यूज लेटर – राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ विभिन्न विभागों के लिए बहु–स्तरीय एवं दीर्घकालिक नीति बनाने एवं कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने में योगदान दे रहा है। आयोग अपनी इन गतिविधियों को सर्व संबंधित से साझा करने के लिए "दिशा" न्यूज लेटर का प्रकाशन किया जाता है।

भाग-सात

सारांश

राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ की बदली हुई भूमिका के अनुसार राज्य के विकास हेतु नीति निर्धारण के लिये आवश्यक शोध तथा योजनाओ के मूल्यांकन आदि कार्यों हेतु प्रदेश के विश्वविद्यालयों/ उच्च शैक्षणिक संस्थानों /प्रशिक्षण संस्थानों से अनुबंध किया गया है। सतत विकास लक्ष्य 2030 के लिए राज्य इंडीकेटर फ्रेमवर्क का निर्माण किया गया एवं राज्य की बेसलाईन रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

परिशिष्ट–एक

राज्य योजना आयोग में स्वीकृत एवं भरे पदों की स्थिति

(31 दिसम्बर, 2020 की स्थिति में)

क्र.	स्वीकृत पदनाम	श्रेणी	वेतनमान	वेतन लेवल	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सदस्य	प्रथम	राज्य शासन द्वारा निर्धारित वेतनमान		1	1	0	–
2	सदस्य सचिव	प्रथम	141800-214700	17	1	1	0	–
3	सलाहकार	प्रथम	118500-214100	15	4	2	2	–
4	उप सचिव	प्रथम	79900-211700	14	1	0	1	–
5	संयुक्त संचालक	प्रथम	79900-211700	14	2	2	0	–
6	संयुक्त संचालक (वित्त)	प्रथम	79900-211700	14	1	1	0	–
7	अवर सचिव	प्रथम	67300-213100	13	1	0	1	–
8	शोध अधिकारी	प्रथम	67300-213100	13	3	1	2	–
9	सांख्यिकी अधिकारी	द्वितीय	56100-177500	12	4	0	4	–
10	सहायक संचालक	द्वितीय	56100-177500	12	2	1	1	–
11	प्रशासकीय अधिकारी	द्वितीय	56100-177500	12	1	0	1	–
12	शीघ्रलेखक ग्रेड–1	द्वितीय	43200-136500	10	1	1	0	–
13	सहायक प्रोग्रामर	तृतीय	35400-112400	8	1	0	1	–
14	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	तृतीय	38100-120400	9	4	3	1	–
15	कनिष्ठ ग्रंथपाल	तृतीय	38100-120400	9	1	0	1	–
16	शीघ्रलेखक ग्रेड–2	तृतीय	38100-120400	9	2	2	0	–
17	शीघ्रलेखक ग्रेड–3	तृतीय	28700-91300	7	2	0	2	–
18	सहायक ग्रेड–1	तृतीय	28700-91300	7	1	1	0	–
19	अन्वेषक	तृतीय	28700-91300	7	4	1	3	–
20	वरिष्ठ लेखापाल	तृतीय	28700-91300	7	1	1	0	–
21	कनिष्ठ लेखापाल	तृतीय	25300-80500	6	1	0	1	–
22	सहायक ग्रेड–2	तृतीय	25300-80500	6	2	0	2	–
23	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	तृतीय	25300-80500	6	6	3	3	–
24	सहायक ग्रेड–3	तृतीय	19500-62000	4	4	1	3	–
25	वाहन चालक वरिष्ठ	तृतीय	19500-62000	4	1	1	0	–
26	वाहन चालक कनिष्ठ	तृतीय	16100-50900	2	4	4	0	–
27	दफ्तरी	चतुर्थ	16100-50900	2	1	0	1	–
28	भृत्य	चतुर्थ	15600-49400	1	11	8	3	–
29	चौकीदार	चतुर्थ	कलेक्टर दर		2	0	2	–
30	वाटरमेन	चतुर्थ	कलेक्टर दर		1	0	1	–
31	फर्राश	चतुर्थ	कलेक्टर दर		1	0	1	–
	योग				**72**	**35**	**37**	

उपाध्यक्ष स्थापना हेतु								
क्र.	स्वीकृत पदनाम	श्रेणी	वेतनमान	वेतन लेवल	स्वीकृत पद संख्या	भरे हुए पद	रिक्त पद संख्या	रिमार्क
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	उपाध्यक्ष	राज्य शासन द्वारा मनोनीत			1	1	0	–
2	विशेष सहायक	प्रथम	67300-213100	13	1	0	1	–
3	निज सचिव	द्वितीय	43200-136500	10	1	0	1	–
4	निज सहायक	द्वितीय	38100-120400	9	1	0	1	–
5	सहायक ग्रेड–2	तृतीय	25300-80500	6	1	0	1	–
6	वाहन चालक	तृतीय	19500-62000	4	2	0	2	–
7	भृत्य	चतुर्थ	15600-49400	1	3	0	3	–
	योग				**10**	**1**	**9**	
	महायोग				**82**	**36**	**46**	

20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

भाग-एक

सामान्य जानकारी एवं विभागीय संरचना

भारत सरकार द्वारा वर्ष 1975 में बीस सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया जिसमें 1982 और 1986 में कुछ संशोधन हुये। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त उपलब्धियॉ एवं अनुभवों के साथ उनके प्रकार की नई नीतियॉ और कार्यक्रम शुरू करने के कारण आर्थिक सुधारों की अनवरत प्रक्रिया, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और वैश्वीकरण को ध्यान में रखते हुये बीस सूत्रीय कार्यक्रम को पुनः संरचित करते हुये बीस सूत्रीय कार्यक्रम–2006 लागू किया गया है ।

बीस सूत्रीय कार्यक्रम–2006 में ग्रामीण और शहरी जनता के हित के सूत्र है। इसके अंतर्गत देश में गरीबी हटाने और गरीब तथा शोषित जनता के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के कार्यक्रमों पर बल दिया गया है। इस कार्यक्रम में गरीबी, रोजगार, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, कृषि, भूमि सुधार, सिंचाई, पेयजल, कमजोर वर्ग का संरक्षण तथा सशक्तिकरण उपभोक्ता संरक्षण, पर्यावरण, ई–शासन आदि जैसे विभिन्न सामाजार्थिक पहलुओं को शामिल किया गया है। कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमजी) में निहित प्राथमिकताओं को विशेष महत्व दिया गया है। इसके अन्तर्गत गरीबी हटाने, उत्पादकता बढ़ाने, आय संबंधी असमानताओं को कम करने तथा सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिये राष्ट्र की प्रतिबद्धता को प्रतिपादित किया गया है। बीस सूत्रीय कार्यक्रम–2006 (एम.जी.डी.) यू.एन. मिलेनियम डेवलेपमेंट्स गोल्स और सार्क सोशल चार्टर जैसे अंतराष्ट्रीय मंच पर प्रबोधित करने एवं समीक्षा करने के अनुरूप बहुत सी मदें सम्मिलित की गई है ।

अधीनस्थ कार्यालय

राज्य शासन द्वारा वर्ष 2001 से बीस सूत्रीय कार्यक्रम विभाग के अधिनस्थ जिलाध्यक्ष कार्यालय हेतु सहायक ग्रेड–02 व सहायक ग्रेड–03 के 16–16 पद एवं विकासखण्ड कार्यालय हेतु सहायक ग्रेड–03 के 146 पद स्वीकृत है तथा राज्य स्तरीय बीस सूत्रीय क्रियान्वयन समीक्षा समिति कार्यालय हेतु निज सहायक के 01 पद तथा भृत्य के 02 पद स्वीकृत है ।

राज्य शासन द्वारा बीस सूत्रीय कार्यक्रम 2006 के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय / जिला स्तरीय / ब्लाक स्तर पर समीक्षा समिति का गठन किया गया है तथा राज्य स्तरीय समितियों की बैठक वर्ष में दो बार, जिला स्तरीय समिति की बैठक हर तिमाही में तथा ब्लाक स्तरीय समिति की बैठक हर माह आयोजित करने के प्रावधान किये गये हैं। इसी प्रकार राज्य स्तरीय बीस सूत्रीय कार्यक्रम की नियमित समीक्षा करने हेतु उप समिति का गठन किया गया है। यह उप समिति कम से कम तीन माह में एक बार बैठक आयोजित करेगी। उप समिति अपनी अनुशंसा एवं कार्यक्रम के बेहतर क्रियान्वयन हेतु सुझाव माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत करेगी ।

विभागीय दायित्व

1. कार्यक्रम की प्रगति का संकलन, अनुश्रवण एवं समीक्षा ।
2. राज्य / जिला / विकास खण्ड स्तरीय एवं शहरी बीस सूत्रीय समितियों का गठन ।
3. केन्द्र शासन के बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रसारित निर्देशों पर अनुवर्तन कार्यवाही ।
4. सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजना का अनुश्रवण एवं समीक्षा ।
5. विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही ।

कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएँ

1. प्रबोधन एवं अनुश्रवण

इस कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र शासन से प्राप्त दिशा–निर्देशों के सापेक्ष्य में कार्यवाही करते हुए कार्यक्रम प्रगति/उपलब्धियों का राज्य प्रतिवेदन केन्द्र शासन को संप्रेषित किया जाता है। कतिपय विषयों पर न्यूनतम उपलब्धियों पर विभागीय टीप प्राप्त कर शासन को अवगत कराया जाता है । कार्यक्रम के अंतर्गत आवश्यक मार्गदर्शन एवं दिशा–निर्देश दिया जाता है ।

2. पंचायती राज संस्थाओं को प्रत्यायोजित दायित्व

इस कार्यक्रम के अंतर्गत विषयगत प्रगति व उपलब्धियों की समीक्षा का दायित्व क्रमशः पंचायती राज संस्थाओं– (राज्य, जिला व जनपद पंचायतों) को प्रत्यायोजित किया गया है। कार्यक्रम की देख–रेख का दायित्व भी इन संस्थाओं को सौपा गया है ।

भाग-दो

कार्यक्रम के अन्तर्गत बजट प्रावधान एवं व्यय

कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य स्तर/जिला/जनपद पंचायत स्तर पर स्वीकृत पदों पर होने वाले स्थापना व्यय को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा वर्ष 2020–21 में राशि रू. 34,675.00 हजार रूपयें का बजट में प्रावधान किया गया है। जिसके सापेक्ष में 20 जनवरी तक 56.69 प्रतिशत राशि व्यय हुआ है ।

जानकारी संकलन हेतु नियत विभागः

1. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
2. राजस्व विभाग
3. आवास एवं पर्यावरण विभाग
4. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
5. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
6. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
7. आदिम जाति कल्याण विभाग
8. महिला एवं बाल विकास विभाग
9. वन विभाग
10. ऊर्जा विभाग

बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत समीक्षा की विषयगत सूची :–

बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र/राज्य शासन द्वारा संचालित 20 कार्यकलापों को समाहित किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है

1. रोजगार सृजन–महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

(क) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना(एसजीएसवाई)

(ख) (एसजीएसवाई) के अंतर्गत अ.जा.,अ.ज.जा महिलाओं एवं विकलांग स्वरोजगारियों को सहायता

2. (क) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत गठित स्व सहायता ग्रुप

(ख) स्व सहायता ग्रुप जिन्हें आय का सृजन करने वाली गतिविधियां प्रदान की गई है

3. (क) भूमिहीनों को बंजर भूमि का वितरण

(ख) अ.जा.,अ.ज.जा एवं अन्य वितरित की गई बंजर भूमि

4. (क) न्यूनतम मजदूरी प्रवर्तन (फार्म लेबर सहित)

(i) किया गया निरीक्षण (ii) पाई गई अनियमितताएं

(iii) सुधारी गई अनियमितताएं

(ख) न्यूनतम मजदूरी प्रवर्तन (फार्म लेबर सहित)

(i) किए गए दावे (ii) निपटाए गए दावे

(ग) न्यूनतम मजदूरी प्रवर्तन (फार्म लेबर सहित)

(i) लंबित अभियोजन केस (ii) दायर किए गए अभियोजन केस

(iii) निर्णीत अभियोजन केस

5. (क) खाद्य सुरक्षा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली Targeted Public Distribution System (टीपीडीएस) अन्त्योदय अन्न योजना (एएवाई) एपीएल और बीपीएल के लिए

   (ख) खाद्य सुरक्षा–टीपीडीएस केवल अन्त्योदय अन्न योजना(एएवाई)

   (ग) खाद्य सुरक्षा–टीपीडीएस केवल गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल)

   (घ) खाद्य सुरक्षा–टीपीडीएस केवल गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल)

6. ग्रामीण आवास –प्रधानमंत्री आवास योजना

7. शहरी क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस / एलआईजी आवास

8. ग्रामीण क्षेत्र–एआरडब्ल्यूएसपी शामिल बसावटें (एनसी / पीसी)

9. छूटी हुई बसावटों तथा जल गुणवत्ता की समस्याओं वाली बसावटों में कार्यों की शुरूआत

10 ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रम

11 संस्थानिक प्रसव

12. सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार

13. आईसीडीएस योजना का वैश्वीकरण (संचयी)

14. क्रियाशील आंगनबाड़िया (संचयी)

15. सात सूत्री चार्टर के अंतर्गत सहायता प्राप्त शहरी निर्धन परिवारों की संख्या

16. (क) वनरोपण – रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि)

    (ख) वनरोपण – रोपित पौधे (सार्वजनिक एवं वन भूमि)

17. ग्रामीण सड़कें – पीएमजीएसवाई के अधीन निर्मित सड़के

18. राजीव गॉधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अतंर्गत गांव को बिजली प्रदान की गई

19. पम्पसेटों को बिजली

20. विद्युत आपूर्ति

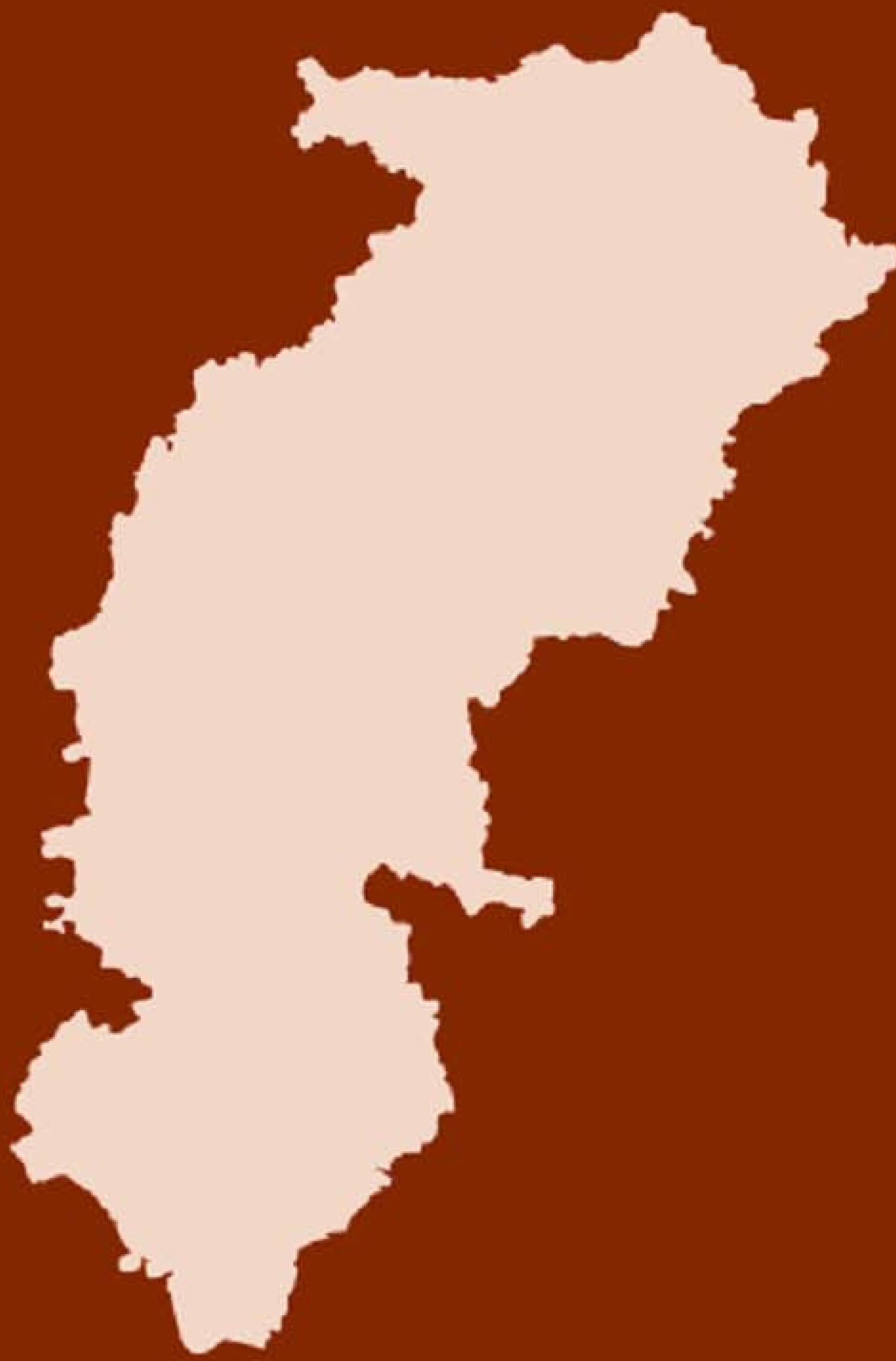

Visit us - www.descg.gov.in